दिनांक:- 07.02.2026

स्वयं अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकें।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या का आंकड़ा नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार और आधारभूत संरचना जैसी सभी विकास योजनाओं की नींव है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वे गणनाकर्मियों को सही, स्पष्ट और पूर्ण जानकारी दें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्य जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत किया जा रहा है और नागरिकों द्वारा दी गई सभी सूचनाएं पूर्णतः गोपनीय रखी जाती हैं। किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी का दुरुपयोग नहीं होता है।

इस दौरान प्रधान सचिव श्री सीके अनिल एवं सचिव श्री जय सिंह ने कहा कि इस कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराया जाएगा, ताकि बिहार इस राष्ट्रीय अभियान में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर सके।

दिनांक:- 07.02.2026

जनगणना–2027: 2 मई से घर-घर होगा मकान सूचीकरण, 17 अप्रैल से होगी स्व-गणना की सुविधा

•उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की अपील, सही जानकारी दें, जनगणना आंकड़े ही बनते हैं विकास योजनाओं का आधार

पटना : माननीय उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा ने जनगणना–2027 के अंतर्गत राज्य में होने वाले मकान सूचीकरण कार्य को लेकर प्रेस को संबोधित करते हुए नागरिकों से सक्रिय सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार बिहार में जनगणना की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके तहत 02 मई 2026 से 31 मई 2026 तक घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से मकान सूचीकरण किया जाएगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए 17 अप्रैल 2026 से 01 मई 2026 तक स्व-गणना (ऑनलाइन) की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी, ताकि इच्छुक व्यक्ति